प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 1013 सन 2021

अनवान :–

1. मीरा पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरकौर पत्नी गणपत जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टीडियसर के खाता संख्या 163/162 के खसरा न0 122/11 की कुल 4.2365हैक्ट भूमि वादीया मीरा पत्नी भानीराम एवं टीडियासर के खाता संख्या 249/241 के खसरा संख्या 122/13 की कुल 4.2365हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरकौरी पत्नी गणपत भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता हे वादी अपने हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 6 मे दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथना के समथन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टीडियसर के खाता संख्या 163/162 के खसरा न0 122/11 की कुल 4.2365हैक्ट भूमि वादीया मीरा

पत्नी भानीराम एवं टीडियासर के खाता संख्या 249/241 के खसरा संख्या 122/13 की कुल 4.2365हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरकौरी पत्नी गणपत भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 6 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर के खाता संख्या 163/162 के खसरा न0 122/11 की कुल 4.2365हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में मीरा पत्नी भारीराम के नाम दर्ज है के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 हरकौरी के नाम दर्ज की जाती है तथा खाता संख्या 249/241 के खसरा न0. 122/13 की कुल 4.2365हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरकौर के नाम दर्ज है के स्थान पर वादीया मीरा को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... टीडियासर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मीरा पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हरकौर पत्नी गणपत जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1013 सन 2021 निर्णय दिनांक– 01.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुलो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर के खाता संख्या 163 / 162 के खसरा न0 122 / 11 की कुल 4.2365हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में मीरा पत्नी भारीराम के नाम दर्ज है के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 हरकौरी के नाम दर्ज की जाती है तथा खाता संख्या 249 / 241 के खसरा न0. 122 / 13 की कुल 4.2365हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरकौर के नाम दर्ज है के स्थान पर वादीया मीरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....टीडियासर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते